

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना हेतु रूपये 572.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,72,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना हेतु रूपये 97.92 लाख का व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद में रूपये 97,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 3

नगरीय निकायों को वाहनों पर कर हिस्से की राशि पर रूपये 739.89 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 7,39,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

प्रदेश की नगरीय निकायों को बार लायसेंस फीस से प्राप्त राशि में से क्षतिपूर्ति अनुदान पर रूपये 950.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।